GOVT. PT. MADHAV RAO SAPRE COLLEGE
PENDRAROAD

प्रवेश विवरणिका
2018-2019

स्थापना वर्ष - 1989

(नैक द्वारा "B" ग्रेड प्रदत्त)

शासकीय पं. माधव राव सप्रे महाविद्यालय

पेण्ड्रारोड, जिला- बिलासपुर (छ.ग.) दूरभाष : 07751-220108,
Web : www.pmrscollege.in
E-mail : pmrscollege@yahoo.in

जीवन का सतत् प्रवाह काल के तटों से टकराता ढहाता और पुनर्निर्माण करता, बहता चला आ रहा है। हर घाट की अलग छटा है, किंतु प्रवाह का जल तात्विक रूप से सदा जल ही है । माटी की गंध प्रकृति का परिवेश और उस परिवेश का मानवीय सृष्टि द्वारा रूपांतरण ये सब कारण जल के रूप, रस, गंध, वर्ण को प्रभावित करते हैं । सच है अमरकंटक, सोन और नर्मदा के पावन जल के कारण ही तपोभूमि कहलाता है । इस भूमि से 40 कि.मी. सड़क मार्ग की दूरी पर शा.पं.माधवराव सप्रे महाविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं की हरितिमा, सुरम्य दृश्यों एवं मौसमों के अनुकूल शुद्ध जीवनदायिनी वायु से सम्पूर्ण आवृत्त है । हमारा महाविद्यालय बिलासपुर जिले के जनजातीय क्षेत्र के कोटा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत है ।

सभ्यता एवं संस्कृति के विकासक्रम में अनुसंधान तथा अध्ययन का केंद्र सदैव मनुष्य ही रहा है । जिसने कठिन से कठिन परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालकर, ज्ञान-विज्ञान दोनों दृष्टिकोण विकसित कर संसूचनाओं को भौतिक-अभौतिक माध्यमों से सदैव सम्प्रेषित किया है । महाविद्यालय में ज्ञान के विभिन्न सोपानों पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व, प्रतिभा, विषयों एवं रूचियों का परिमार्जन करने की दिशा में शासन प्रशासन निरंतर प्रयासरत है और इस यज्ञ में आहूति देने हेतु महाविद्यालय में योग्य अनुभवी विद्वान शिक्षकगण कार्यरत् है। शिक्षा के साथ-साथ महाविद्यालय को विकास की सीढ़ी की ओर अग्रसर करने में कर्मचारी और अन्य अधिकारीगण अनवरत तत्पर है ।

हमारा उद्देश्य ''सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयः'' तथा अयं आत्मा परब्रम्हम'' और भी कि दे हो देवालयं प्रोक्ताः (अर्थात सभी सुखी हो सभी निरोग हो एवं हमारा शरीर प्रभु का मंदिर है जिसमें आत्मा रूपी देव निवास करते हैं।)

ऐसा मानने और विश्वास करने पर स्व नियंत्रण और बंधुत्व की भावना संचारित होगी ।

प्राचार्य

शिक्षण संस्था की विवरणिका

इस महाविद्यालय का लक्ष्य छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध एवं बौद्धिक, शैक्षणिक, नैतिक दृष्टि से परिपूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण करना है । जो भावी राष्ट्र निर्माण में सहायक हो ।

भाग - एक

परिचय -

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 11 नवम्बर 1989 से यह महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर स्थापित हुआ है । गोरखपुर रोड राइस मिल के पास रेल्वे स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाविद्यालय 13 एकड़ भूमि के विस्तृत क्षेत्र के मध्य में है ।

(अ) प्रवेश के मार्गदर्शन सिद्धांत

1. महाविद्यालय में प्रवेश की अधिकतम संख्या, स्थान आदि सुविधा के आधार पर निर्धारित की जावेगी।
2. प्रवेश गुणानुक्रम के अनुसार दिया जावेगा । अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं/अ.पि.व. के लिए स्थान आरक्षित होंगें ।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक सुविधायें मुख्यतः छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है ।
4. महाविद्यालय में प्रवेश विद्यार्थियों का विशेषाधिकार है जिसे निष्ठापूर्वक एवं सदाचार द्वारा अर्जित किया जाना होगा ।

महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश खुले द्वार की नीति के आधार पर न होकर मुख्यतः इस आधार पर दिया जावेगा कि, विभिन्न संकायों में कितने विद्यार्थियों के लिए शिक्षा देने की व्यवस्था है ।
2. बी.ए. प्रथम एवं स्नातकोत्तर पूर्व की कक्षाओं, में केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने 10+2+3 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो यदि 10+2+3 की पूरक परीक्षा में छात्र/छात्रा सम्मिलित हो तो उसे प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।

3. पिछले वर्ष की महाविद्यालयीन परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा । स्नातक स्तर पर यदि कोई एक संकाय की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तथा वह दूसरे संकाय में प्रवेश चाहत है तो प्रवेश नियमानुसार स्थान रहने पर दिया जावेगा ।

टीप :- एक विषय में प्राप्त पूरक वाले विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश उसी स्थिति में दिया जा सकेगा जब स्थान उपलब्ध हो । दो विषय में पूरक प्राप्त विद्यार्थी को किसी भी स्थिति में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं दिम्रजावेगा।

4. विवरणिका में संलग्न छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश हेतु जो मार्गदर्शन नियम निर्धारितकिये गये है उसी के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा ।

5. यह महाविद्यालय बिलासपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त है अतः विश्वविद्यालय के नियम मान्य एवं स्वीकार्य होंगें ।

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश संबंधी नियम

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत 2018-19

1. प्रयुक्ति :

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम1973 के तहत अध्यादेश क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुये लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें ।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ''प्रवेश'' से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम सेमेस्टर से है ।

2. प्रवेश की तिथि :

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र जमा करना :

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगें । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें ।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगें । (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक 'क' ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान 'ब' में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा । आवेदक 'ख' ने स्थान (अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता ।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना:-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी । किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें। तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय/ उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुये स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगें।

4. प्रवेश सूची :

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियो की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांको की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगायी जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने केतत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर ''प्रवेश दिया गया'' की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगा कर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाए।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/-अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा । स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्वप्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में बंद कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिये आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार ''राज्य शासन, एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है ।'' का पालन किया जाये ।

5. प्रवेश की पात्रता :

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :

क. छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छ.ग. में स्थायी सम्पत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक सांठनों के कर्मचारी जिनका पंदाकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितो तथा उनके आश्रितो को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

ख. सम्बद्ध वि.वि. से या सम्बद्ध वि.वि. द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :

क. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य व कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बी.एस.सी. (गृहविज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-

क. बी.कॉम./बी.एससी. (गृहविज्ञान)/बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम.कॉम/ एम.एस.-सी (गृहविज्ञान)/ एम.ए. पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एससी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एससी./एम.ए. पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष /प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्ण अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ग. स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिये निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :

क. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी ।

ग. एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

क. विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45 प्रतिशत (अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु 40 प्रतिशत) होगी । विधि स्नातकोत्तर पूवार्द्ध में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

ख. AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगें ।

6. समकक्ष परीक्षा :

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इण्टरमीडिएट बोर्ड की 10+2 परीक्षायें में मा.शि.मं. की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध वि.वि. से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिगी देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा ।

6.3 संबद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है,की जानकारी प्राचार्य संबद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल 2014 के अनुसार-

''जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना(एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है । जैसा एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता

है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है । वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डो द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है । ऐसे छात्र एनएसक्यूएफके स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगें । मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने अशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथाजिनके पास + 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकताके लिए सुअवसर मिल सकें ।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम/बी.एससी./बी.एच.एससी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय, स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है। किन्तु सम्बद्ध वि.वि./स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो, इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा, अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् है उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुये उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालयों से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवम्बर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता :

8.1 अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायीप्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48% पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदाकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नही होगी।

8. 5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताऐं :

9.1 किसी भी महाविद्यालय/वि.वि.शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो /या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहा हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/ चेतावनी देने केबाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवाये एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 प्रवेश की आयु सीमा :-

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लेमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जायेगी ।

(ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है ।

(घ) संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्व/प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ड.) विधि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों/महिला आवेदकोके लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगा। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को विधि संकाय को छोड़कर किसी अन्य संकायो के स्नातकपाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर, तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी ।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिए अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा ।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रोको प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य क्रम यथावत रहेगा ।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उनके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे। आवेदक के निवास स्थान/तहसील/ जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूर प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिये लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण :

छ.ग. शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :--

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात :-

क. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा मे वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 32 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

ख. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या मे से 12 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

ग. अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहॉ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहॉ खण्ड क. ख. तथा ग. के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क., ख. तथा ग. के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रूप से अवधारित किया जायेगा ।

(2) निःशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए, तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड क, ख, तथा ग के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा ।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगें । विकलांग श्रेणी के आवेदकों को प्राप्तांकों का 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेगा।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेंगी, परन्तु ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जाएगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छुट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाए।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी.(सी) 400/2012 नेशनल लीगत सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointements." का कड़ाई से पालन किया जाए ।

13. अधिभार :

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किय जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र केसाथ ही संलग्न करना अनिवार्य

है। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स :

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाईड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जाये।

(क)	एन.एस.एस./एन.सी.सी./ए-सर्टिफिकेट	- 02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./एन.सी.सी. 'बी' सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 03 प्रतिशत
(ग)	'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	- 04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	- 04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. के एन.सी.सी./एन.एस.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	- 05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	- 05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	- 10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी.कैडेट	- 10 प्रतिशत
(य)	ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	- 10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट/ एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	- 15 प्रतिशत
13.2	आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर	- 10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को एल.एल.बी. प्रथम वर्ष में होने पर	- 05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छ.ग. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में -

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	- 02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	- 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंर्तक्षेत्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में-

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	- 06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	- 07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	- 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में -

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को - 15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को - 12 प्रतिशत

(ग) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को - 10 प्रतिशत

13.5 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा सांइस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्य को - 10 प्रतिशत

13.6 छ.ग.शासन/म.प्र.से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में-

(क) छ.ग./म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को - 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को - 12 प्रतिशत

13.7 जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को - 01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन :

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/ स्पोटर्स अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधे प्रवेशदिया जाए जिनकीं उन्हें पात्रता है कि-

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छ.ग. शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तरद्वितीय वर्ष में प्रवेश पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :

स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगामहाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिन तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणाुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

15. शोध छात्र :

शासकीय महाविद्यालयों में पी-एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिए प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में

आवेदन करेंगे। प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जायेगा। शोध छात्र के लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह की कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जायेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था। शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरांत शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालय के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

16. विशेष :

16.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतो के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगें। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

16.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतो में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतो में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन /निरसन/संलग्न का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

संयुक्त संचालक
उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर

शास.पं. माधव राव सप्रे महाविद्यालय, पेण्ड्रारोड
जिला – बिलासपुर (छ.ग.)

प्रवेश संबंधी निर्देशों का सार संक्षेप :

	छात्र वर्ग द्वारा उत्तीर्ण की गई परीक्षायें	-	कक्षा जिसमें अर्हता के बाद प्रवेश की पात्रता
1.	मा.शिक्षा मण्डल छ.ग. की 10+2 बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण या केन्द्रीय बोर्ड से 10+2 बारहवीं उत्तीर्ण	-	स्नातक स्तर के बी.ए./बी.एस-सी. प्रथम वर्ष
2.	मा. शिक्षा मण्डल छ.ग. द्वारा वाणिज्य/विज्ञान संकाय के 10+2 बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण	-	यदि छात्र चाहे तो विषम परिस्थितियों में बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश दिया जा सकता है ।
3.	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बी.ए. उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को जिन्होंने 10+2 उत्तीर्ण करने के पश्चात बी.ए. किया हो ।	-	बी.ए. के चयनित विषयों में से किसी एक विषय में एम.ए. पूर्व हेतु प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ब) प्रवेश सीमा - स्नातक स्तर

बी.ए. भाग - एक - 160
बी.ए. भाग - दो - 160
बी.ए. भाग - तीन - 160

बी.एस-सी. भाग - एक (गणित समूह) - 60
बी.एस-सी. भाग - दो (गणित समूह) - 60
बी.एस-सी. भाग - तीन (गणित समूह) - 60
बी.एस-सी. भाग - एक (जीवविज्ञान समूह) - 60
बी.एस-सी. भाग - दो (जीवविज्ञान समूह) - 60
बी.एस-सी. भाग - तीन ((जीवविज्ञान समूह)- 60

स्नातकोत्तर स्तर

एम.ए. हिन्दी पूर्व - 20 सीट
एम.ए. हिन्दी अंतिम - 20 सीट
एम.ए. पूर्व समाजशास्त्र - 20 सीट
एम.ए. अंतिम समाजशास्त्र - 20 सीट

एम.ए. राजनीति पूर्व - 20 सीट
एम.ए. राजनीति अंतिम - 20 सीट

स्नातकोत्तर स्तर

1. हिन्दी (शासन द्वारा स्वीकृत)
2. समाज शास्त्र (शासन द्वारा स्वीकृत)
3. राजनीति शास्त्र (जनभागीदारी समिति द्वारा यू.जी.सी. के मापदण्ड के आधार पर संचालित है ।

रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम - (स्ववित्तीय योजना)

1. पी.जी.डी.सी.ए. - 30 सीट

भाग - दो

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विषय समूह

कला संकाय -

बी.ए. भाग - 1 परीक्षा में बैठने वाले छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम

अ. अनिवार्य विषय - हिन्दी भाषा/अंग्रेजी भाषा (आधार पाठ्यक्रम) एवं पर्यावरण अध्ययन

ब. निम्नलिखित विषयों में से कोई तीन विषय

1. राजनीति शास्त्र/गृह विज्ञान
2. अर्थशास्त्र
3. समाजशास्त्र
4. हिन्दी साहित्य
5. अंग्रेजी साहित्य
6. भूगोल

बी.ए. भाग - 2 बी.ए. पूर्व में वे ही विषय मान्य होंगें जो बी.ए. प्रथम वर्ष में लिये गये थे ।

बी.ए. भाग - 3 बी.ए. अंतिम में वे ही विषय मान्य होंगें जो बी.ए. पूर्व में लिये गये थे ।

विज्ञान संकाय -

बी.एस-सी. भाग -1 (गणित समूह)

1. गणित
2. भौतिक विज्ञान
3. रसायन विज्ञान
4. अनिवार्य विषय हिन्दी भाषा/अंग्रेजी भाषा (आधार पाठ्यक्रम) एवं पर्यावरण अध्ययन

बी.एससी. भाग - 2 बी.एस-सी. भाग 2 में वे ही विषय मान्य होंगें जो बी.एससी. प्रथम वर्ष में लिये गये थे ।

बी.एससी. भाग - 3 बी.एस-सी. भाग 3 में वे ही विषय मान्य होंगें जो बी.एससी. द्वितीय वर्ष में लिये गये थे ।

बी.एससी. भाग - 1 (जीव विज्ञान समूह)

1. वनस्पति विज्ञान
2. जन्तु विज्ञान
3. रसायन विज्ञान
4. अनिवार्य विषय हिन्दी भाषा/अंग्रेजी भाषा (आधार पाठ्यक्रम) एवं पर्यावरण अध्ययन

बी.एससी. भाग - 2 बी.एस-सी. भाग 2 में वे ही विषय मान्य होंगें जो बी.एससी. प्रथम वर्ष में लिये गये थे ।

बी.एससी. भाग - 3 बी.एस-सी. भाग 3 में वे ही विषय मान्य होंगें जो बी.एससी. द्वितीय वर्ष में लिये गये थे ।

1. प्रवेश के आवश्यक नियम :-

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्ति की इच्छुक सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि, वे संलग्न निर्धारित आवेदन पत्र भरें आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतियां संलग्न करें ।

1. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. पिछली परीक्षा की अंकसूची
4. प्रवजन प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार
5. जाति प्रमाण पत्र

प्रवेश प्राप्त होने एवं सूचना पटल पर नाम आ जाने के पश्चात् ही उपरोक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें । शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश संपन्न माना जायेगा । शुल्क जमा करते समय प्रत्येक विद्यार्थी को दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ जिसमें पीछे विद्यार्थी का नाम और कक्षा लिखा हो कार्यालय में देना होगा । जिससे शुल्क कार्ड और प्रवेश कार्ड दिया जायेगा । फोटो का उपयोग परिचय पत्र बनाने के लिए होगा जिसमें विद्यार्थी को प्राचार्य का हस्ताक्षर कराने होंगें । किसी भी छात्र/छात्रा को प्रवेश की सूचना घर नहीं भेजी जायेगी । प्रतिदिन सूचना पटल देखना अनिवार्य होगा ।

2. उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-

1. महाविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाया गया, अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार नियमित छात्रों को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने से रोका जा सकता है । जिन छात्रों की उपस्थिति 15 नवम्बर तक 50 प्रतिशत से कम होगी उनके परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं किये जायेंगें ।

समय-समय पर अपनी उपस्थिति के प्रतिशत की जानकारी प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ संबंधित प्राध्यापकों से संपर्क कर ले लेना चाहिए । उपस्थिति में कमी के संबंध में महाविद्यालय विद्यार्थियों या पालकों को सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं है ।

2. (अ) विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय की छात्र/छात्राओं द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दूराचार किये जाने पर ऐसी छात्र/छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्राचार्य सक्षम हैं अनुशासनहीनता के लिए उक्त अध्यादेश में निम्नलिखित दण्ड का प्रावधान है ।

1. निलंबन 2. निष्कासन 3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना ।

प्रवेश शुल्क सत्र 2018-19

मद	बी.ए./बी.एस-सी. भाग-एक		बी.ए./बी.एस-सी. भाग-दो		बी.ए./बी.एस-सी. भाग-तीन		एम.ए.पूर्व		एम.ए. अंतिम		पी.जी.डी.सी.ए.	
	सामा./पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्रा	अजा/सामा./पि./अजजा /छात्रा/छात्रा	सामा./पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्रा	अजा/सामा. /पि./अजजा /छात्रा/छात्रा	सामा. /पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्रा	अजा/सामा. /पि./अजजा /छात्रा/छात्रा	सामा./पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्रा	अजा/सामा. /पि./अजजा /छात्रा/छात्रा	सामा. /पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्रा	अजा/सामा. /पि./अजजा /छात्रा/छात्रा	सामा./पिछड़ा वर्ग छात्र/छात्रा	अजा/सामा. /पि./अजजा /छात्रा/छात्रा
काशन मनी अवधान	60	60	-	-	-	-	100	100	-	-	100	100
नामांकन शुल्क	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छात्रा कामन रूम	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
महाविद्यालय विकास शुल्क	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
चिकित्सा	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
छात्रसंघ प्रवेश	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
परिचय पत्र	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
रेडक्रास शुल्क	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
वि.वि. ग्रंथालय शुल्क	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
वि.वि. शारीरिक शुल्क	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
वि.वि. छात्रसंघ कल्याण	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
वि.वि. छात्र युवा गतिविधि	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
निर्धन छात्र	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
जनभागीदारी शुल्क	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
क्रीड़ा शुल्क	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
सम्मिलित निधि	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
स्नेह सम्मेलन	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
नेक शुल्क	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
योग	936	936	776	776	776	776	876	876	776	776	876	876
शासकीय शुल्क												
शिक्षण शुल्क	115	-	115	-	115	-	135	-	135	-	135	-
प्रवेश शुल्क	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
लेखन शुल्क	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
प्रायोगिक शुल्क	20	20	20	20	20	20	-	-	-	-	20	20
योग	140	25	140	25	140	25	140	5	140	5	160	25
पीजीडीसीए एवं एम.ए. राजनीति शास्त्र							1500	1500	1500	1500	8000	8000
महायोग	1076	961	916	801	916	801	2516	2381	2416	2281	9036	8901

नोट : परीक्षा शुल्क एवं अन्य शुल्क जो शासन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित किया जायेगा। वह भी देय होगा । समस्त रसीदें सुरक्षित रखें । आवश्यकता पड़ने पर मांगी जा सकती है। वापस करने योग्य राशि वापस लेने हेतु संबंधित रसीद जमा करना अनिवार्य होगा ।

3. शुल्क में सुविधायें

(अ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधा :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की छात्र/छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगी । यह मुक्ति उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्राप्त हो सकेंगें जो अपने आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्त अधिकारी या तहसीलदार के पद से जो कम न हो ऐसे किसी राजस्व अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि, वह स्वीकृत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित है।

(ब) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शासकीय कर्मचारियों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट :-

छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार 1 जुलाई 1986 से अध्ययनरत कर्मचारियों के संतानों का शिक्षण शुल्क में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी ।

1. प्रथम उपाधि स्तर पर समस्त तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के सेवारत अथवा सेवानिवृत्ति तथा सभी वर्ग के भृत्य शासकीय सेवा के संतानों को अतकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पूरी छूट दी जायेगी ।

टीप : शुल्क में छूट की सुविधा निम्न शर्तो पर प्रदान की जायेगी -

क. यदि किसी शिक्षण संस्था में किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनार्थ शुल्क लिया जाता है जैसे पुस्तकालय क्रीड़ा शुल्क यदि सुविधा ऐसे शुल्क पर लागू नहीं होगी ।

ख. शुल्क में छूट की यह सुविधा अभिभावक द्वारा कार्यालय प्रमुख के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रदान की जायेगी ।

ग. यदि कोई छात्र/छात्राएं किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण होती है, तो यह सुविधा स्थगित रखी जायेगी तथा अगले वर्ष उत्तीर्ण होने पर यह सुविधा प्राप्त होगी ।

घ. यदि छात्र/छात्राएं अनुशासनहीनता, हड़ताल आदि में भाग लेती है, तो यह सुविधा बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है ।

(स) छात्राओं को सुविधा :-

राज्य शासन के आदेशानुसार जुलाई 1984 के शैक्षणिक स्तर से महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर समस्त छात्राओं का स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर तक अध्यापन के लिए सत्र का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ किया जावेगा । शेष अन्य शुल्क देय होंगें ।

4. छात्रवृत्ति संबंधी

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के आवेदन पर छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल/विश्वविद्यालयों द्वारा उनके घर पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं । इन आवेदन पत्रों कोछात्र/छात्राओं द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से संचालक महाविद्यालयीन शिक्षा को भेजा जाना चाहिये ।
2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति को छोड़कर शेष सभी छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पत्र महाविद्यालय से प्राप्त हो सकेंगें।
3. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु तिथियां महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर घोषित की जायेगी।
4. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र के प्रति 14 अगस्त तक जमा करना होगा ।
5. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र आय, जाति तथा निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ 15 अगस्त तक जमा करना होगा ।

छात्रवृत्ति के संबंध में अपेक्षित कार्यवाही :-

1. आवेदन पत्र निर्धारित समय के एक सप्ताह पूर्व महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना चाहिए। इसी प्रकार नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रगति विवरण सही-सही भरकर अंकसूची के साथ समय पर कार्यालय में जमा करें ताकि कार्यालय में उन्हें समय पर संचालनालय भेज सकें।
2. समय-समय पर प्राचार्य से छात्रवृत्ति की जानकारी हेतु उनके द्वारा नियत समय पर संपर्क स्थापित करते रहना चाहिए।
3. कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व छात्र-छात्रायें देखें कि -

   क. आवेदन पत्र में संपूर्ण कालम सही भरे गये हैं ।

   ख. सही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है या नहीं ।

ग. आवेदक के हस्ताक्षर तथा फार्म जमा करने की तिथि अंकित है या नहीं ।

घ. आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची आचरण प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, कक्षा में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र छात्रावासी (यदि हो) होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है या नहीं ।

च. पूर्व में कोई छात्रवृत्ति प्राप्त हो तो उसका उल्लेख किया गया या नहीं ।

5. खेलकूद :

महाविद्यालय में निम्नलिखित खेलों के लिये सुविधायें है -

1. फुटबाल 2. बालीबॉल 3. बैडमिंटन 4. टेबल टेनिस 5. क्रिकेट 6. कबड्डी 7. शतरंज विद्यार्थियों को अंर्तमहाविद्यालयीन और अंर्तविश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं के लिए अवसर प्राप्त है।

6. उपस्थिति :

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक विषय महाविद्यालय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है । इसके अभाव में वह विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं से वंचित हो सकता है । समय-समय पर उपस्थिति के आंकड़ों की जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विद्यार्थी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।

7. महाविद्यालयीन परीक्षाएं :

विद्यार्थियों को कक्षा में ली जाने वाली आंतरिक परीक्षा तथा परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।प्राचार्य के पूर्व अनुमति के बिना परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्वाही की जायेगी ।

8. एन.एस.एस. (राष्ट्रीय सेवा योजना) :

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की एक महिला इकाई कार्यरत है । इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शहरी बस्तियों और गांवों में समाज सेवा के कार्य करने होते है । 240 घंटे की सेवा करने पर विश्वविद्यालय सेप्रमाण पत्र मिलता है । समाज सेवा के अंतर्गत श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, अल्प बचत, प्राथमिक उपचार आदि कार्य होते है । वार्षिक शिविर भी आयोजित किया जाता है जिसमें उपस्थिति अनिवार्य है । कुछ परीक्षाओं में एन.एस.एस. प्रमाण पत्र पर 5 प्रतिशत का अधिभार प्राप्त होता है ।

9. पुस्तकालय :

1. महाविद्यालय के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों के लगभग 8000 हजार से अधिक पुस्तकें हैं ।

2. स्नातकोत्तर कक्षाओं की पुस्तकें एवं संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध है।

3. स्नातक कक्षा के विद्यार्थियों को सप्ताह में एक बार दो पुस्तकें प्रदान की जाती है । पुस्तकें यदि समय पर वापस नहीं की जाती है तो प्रतिदिन एक रूपये के दर से विलम्ब शुल्क देय होगा ।

4. वाचनालय कक्ष में पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने के लिए सदैव उपलब्ध है।

9. बुक बैंक योजना :

शासन की सहायता से अनुसूचित जाति/जनजाति छात्राओं के लिए बुक बैंक का गठन किया गया है । जिससे विद्यार्थियों को संपूर्ण सत्र के लिए पुस्तकें दी जाती है ।

नोट : पुस्तकालय सामग्री को नुकसान पहुंचाने वाले विद्यार्थियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी

10. परिचय पत्र :

महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के एक सप्ताह के अंदर ही परिचय पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा । महाविद्यालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रम में भाग लेते समय तथा महाविद्यालय में किये जाने वाले समस्त व्यवहारों के समय प्रत्येक विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा । परिचय पत्र के बिना विद्यार्थी को महाविद्यालय का छात्र नहीं माना जायेगा । परिचय पत्र गुम हो जाने पर दूसरा परिचय पत्र पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखवाकर प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर 10 रू. जमा करने पर दिया जावेगा ।

11. विद्यार्थी सहायता कोष :

नगर पंचायत/ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत द्वारा गरीबी रेखा के कार्ड जमा करने पर निर्धन तथा जरूरतमंद विद्यार्थियें को लघु आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता महाविद्यालय द्वारा ली जाने वाली शुल्क का सामान्य रूप से महाविद्यालय द्वारा समिति गठित कर छात्राओं को राशि वितरण किया जाता है ।

12. भैषजिक परीक्षण :

महाविद्यालय में रेडक्रास समिति के तत्वाधान में भैषजिक परीक्षण, रक्त समूह परीक्षण, रक्त अल्पता परीक्षण कर, स्वास्थ्य, स्वच्छता रोगों के बचाव आदि संबंधी जानकारी विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती है ।

13. जनभागीदारी समिति :

जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद का मनोनयन कलेक्टर द्वारा प्रेषित पत्र के आधार पर जिले के माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा किया जाता है । अध्यक्ष द्वारा 14 सदस्यों की समिति का गठन दो वर्ष के लिए किया जाता है। समिति का कार्य महाविद्यालय के विकास में सहयोग प्रदान कर छात्राओं के हित में कार्य करना है ।

भाग - तीन

अन्य सामान्य नियम -

1. महाविद्यालय के अधिकारीगण इस संस्था में प्रवेश प्राप्त करने वाले समस्त विद्यार्थियों की अपेक्षा करते हैं कि, विद्यार्थीगण अनुशासन तथा सद्व्यवहार का एक आदर्श इस शैक्षणिक संस्था में प्रस्तुत करेंगें तथा किसी भी राजनैतिक प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगें ।
2. यदि किसी विद्यार्थी के विरूद्ध दुराचरण, दुर्व्यवहार या सतत् निष्क्रियता के गंभीर आरोप पाये गये तो प्राचार्यउसे महाविद्यालय से पृथक अथवा निलंबित कर सकते है । ऐसे विद्यार्थी को प्राचार्य महोदय, विश्वविद्यालय की होने वाली परीक्षा में बैठने से वंचित कर सकते है ।
3. सुरक्षा निधि (काशन मनी) विद्यार्थी को महाविद्यालय छोड़ने पर या स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करने पर वापसी योग्य है जिसके लिये विद्यार्थी को काशन मनी की रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
4. वे विद्यार्थी जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि इस महाविद्यालय के कार्यालय से डाक द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, आवश्यक टिकट लिफाफा भेजना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. यदि कोई विद्यार्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण जानकारी देता है या तथ्य छिपाता है तो प्राचार्य ऐसे विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकते हैं तथा निलंबित भी कर सकते है ।
6. विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि, वे नियमित रूप से महाविद्यालय के सूचना पटल पर लगे सूचना पत्रों को पढ़ें । सूचना पटल में अंकित सूचनाओं को जानकारी के अभाव मान्य नहीं किया जायेगा ।
7. प्राचार्य इस विवरणिका के किसी भी नियम अथवा उप नियम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेंगें । जो भी नये निर्देश प्रभावशाली होंगें, वे महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगें ।
8. किसी भी छात्र/छ ात्राओं द्वारा रेगिंग करते पाया गया तो अनुशासन समिति के निर्णय पर संबंधित छात्रा/छात्राओं को महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा ।

विशेष

1. इस विवरणिका में दिये गये नियमों में यदि विवाद हो तो उनका निर्णय प्राचार्य द्वारा किया जावेगा । समस्त मामलों में प्राचार्य का निर्णय ही अंतिम होगा जो सभी विद्यार्थी को मानना होगा ।
2. विवरणिका डॉक से नहीं भेजी जायेगी ।
3. बिलासपुर विश्वविद्यालय द्वारा लागू प्रवेश नियम ही मान्य है।

महाविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची

प्राचार्य

श्री ओ.एस. कंवर

भूगोल विभाग

1.	डॉ. वर्षा वैद्य	सहायक प्राध्यापक

जीव विज्ञान विभाग

1.	डॉ. के.आर. साहू	सहायक प्राध्यापक

अर्थशास्त्र विभाग

1.	श्री ओ.एस. कंवर	सहायक प्राध्यापक

हिन्दी विभाग

1.	डॉ. श्रीमती अंजलि पावले	सहायक प्राध्यापक

अंग्रेजी विभाग

1.	डॉ. देवाश्री चक्रवर्ती	सहायक प्राध्यापक

भौतिक शास्त्र विभाग

1.	डॉ. नीलम तिवारी	सहायक प्राध्यापक

रसायन शास्त्र विभाग

1.	एस.के. टण्डन	सहायक प्राध्यापक

समाजशास्त्र विभाग

1.	श्रीमती कालिन्द्री कौशिक	सहायक प्राध्यापक

गृह विज्ञान विभाग

1.	श्वेता त्रिपाठी	सहायक प्राध्यापक

ग्रंथालय विभाग

1.	रिक्त	ग्रंथपाल

क्रीड़ा विभाग

1.	श्रीमती सुषमा कुमार	क्रीड़ाधिकारी

कार्यालय

1.	श्रीमती नीता कश्यप	सहायक ग्रेड - 03

प्रयोगशाला तकनीशियन

1.	श्री चन्द्रशेखर सिंह मरावी	

प्रयोगशाला परिचारक

1.	श्रीमती गुलनाज खान	

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण

1.	श्री गंगाराम यादव	भृत्य
2.	श्री जसराम कुर्रे	भृत्य
3.	श्री राजेन्द्र कुमार मानिकपुरी	बुक लिफ्टर
4.	श्री सोहन लाल केश्वरे	स्वीपर

विशेष

1. राजनीति शास्त्र (स्नातक एवं स्नातकोत्तर)
2. पी.जी.डी.सी.ए. डिप्लोमा (स्व-वित्तीय मद द्वारा संचालित)

(जनभागीदारी द्वारा संचालित)

विविध गतिविधियाँ

विविध गतिविधियाँ